## वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

## अनुमति-पत्र

सं**0 . <sup>9</sup>.** 7 <sup>6</sup>. . 7 न0 अ0 वि0

दिनांक 🐘 🙏 🖟 🏃 🕹

## गृहं निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती हैं. किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्निलिखत प्रतिबुन्धों के आधार पर अनुमित दी जाती है कि श्रीमती / श्री किंग्निक के स्वार्थ के साथ के स्वार्थ के साथ प्रतित किये गये हैं. उपाध्यक्ष के स्विन्दित भवन वह के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय ।

प्रति अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय ।

पुनर किये गये हैं अपाध्यक्ष के स्विन्दित भवन के साथ प्रस्तुत किये गये हैं. उपाध्यक्ष के स्विन्दित भवन के स्वार्थ अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय ।

पुनर किया अनुसार किया अथवा पुनः निर्माण किया जाय ।

दिनांक .......20

63 । । गुन्दाः व्यक्तं कृतं उपाध्यक्षः व विस्ते निल्यास्त्रः वाराणसी विकास प्राधिकरणः

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये हैं। यदि इमारत आजानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे , रूप में प्ररिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे । इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा । यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमित प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को वण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवजामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा ।

2. इस अनुमृति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, ह्याँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमृति प्राप्त करना होगा।

हैं मुकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाई पिडवाई अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर

िन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से सरमत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे , में कर देना होगा ।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी राल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिये । यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पुचात 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि सकान पूर्ण हो गया ।

6, यह अनुमति यदि किसी क्रारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण कर दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि उट जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी औं करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

१। 1नुभाग काय प्रारम्भ कर । ७ गति थितकस्मिन क्षेत्र के हेत किसी प्रकार अनमित **देशी गई तो वह भी वैध** अनुमित पत्र नहीं माना कायेगा

## शर्ते :--

- 1. पक्ष को स्थल पर सोलर वार्टर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- 2. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार 34 पेड़ लंगाना होगा।
- आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पन्न दि० 06.10.12 द्वारा निर्गत की गुझ अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
- 4. शासनादेश सं0—570 / 9—आ—1—मूकम्परोधी / 2001(आठबंठ) दिनांक ०३ फरवरी. 2001 एवं शासनादेश सं0—772 / 9—आ—1—भूकम्परोधी / 2001(आठबंठ) दिनांक वर्ष फरवरी. 2001 के अनुसार भूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
- 5. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पर प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा मनद क किसी अश का उपयोग/उपमोग कदापि नहीं किया जायेगा।
- 6. भवन में ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी। ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
  - आपको किसी प्रकार का बाह्य लिवेज नियमानुसार सम्बन्धित विभाग से अनुमृति
     प्राप्त कर करना होगा।
- 8. भविष्य में यदि स्वामित्व सम्बन्धित कोई विवाद / तथ्य उजागर होता है जो सम्प्रण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं मानचित्र स्वतं निरस्त समझा जाएंगा।
  - कूडा संचयन हेतु उपर्युक्त स्थित एवं स्थान सुनिश्चित करना होगा तथा निस्ता की व्यवस्था करनी होगी।
  - 10 आपको मानक के अनुसार सेन बादर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित के होगी।
    - 11. पक्ष को शासनादेशः संख्या-3388/आद=1-11-80विविध/2010 स प्राविधानों एवं शती का अनुपालन करता होगा।
      - 12. पक्ष को समस्त भवन निर्माण सामग्री अपने भूखण्ड के अन्दर रखना होगा स्टैकिंग चार्ज देना होगा।
    - 13. शपथ पत्र दिनांक 27:03:12 एवं दिनांक 16:01:13 का अनुपालन करता होगा।

STATES OF THE STATES